प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 09 मई, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामलखन पुत्र श्री भागवत लोहार, निवासी-बॉदा की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-12154/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-16.03.2023) दिनांक-13.04.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामलखन पुत्र श्री भागवत लोहार, ग्राम महेदू, थाना-चिल्ला, जनपद-बॉदा का निवासी है। वादी की बहन को बुरी नियत से पकड़कर खीचने की शिकायत किये जाने की रंजिश को लेकर दिनांक 24.12.2002 को बन्दी ने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाइसेन्सी बन्दूक, बरछी व तमन्चे से गोली मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-109/2003 में भा0द0वि0 की धारा-302, 323/34, 325/34, 201/34, 354 व 27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0-प्रथम न्यायालय संख्या-06, बॉदा के आदेश दिनांक 10-11-2005 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। 2- सत्र परीक्षण संख्या-1348/2013 में भा0द0वि0 की धारा-42 प्रिजन एक्ट में पीरियड अन्डरजोन इन जेल से दंडित किया गया, बन्दी की अपील मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष विचाराधीन है, बंदी द्वारा दिनांक 02.02.2023 तक 20 वर्ष 01 माह 07 दिन की अपरिहार सजा तथा 25 वर्ष, 03 माह 11 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बांदा द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बंदी के पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, बंदी के छूटने के बाद पुन: किसी घटना कारित होने की पूर्ण सम्भावना होने, बंदी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा ठीक नही है अभी भी दोनों पक्षों में विवाद होने की पूर्ण सम्भवना होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी ने बहन को बुरी नियत से पकड़कर खीचने की शिकायत किये जाने की रंजिश को लेकर दिनांक 24.12.2002 को बन्दी ने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाइसेन्सी बन्दूक, बरछी व तमन्चे से गोली मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या कर दी। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी रामलखन पुत्र भागवत लोहार को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामलखन (बन्दी संख्या-3725/05) पुत्र श्री भागवत लोहार, निवासी-बॉदा को फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

शिव गोपाल सिंह

संयुक्त सचिव।

संख्या-460/2025/1770(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बॉदा।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ममता श्रीवास्तव

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-460/2025/1770/22-2-2023-17(897)/2023

दिनांक 09 मई, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामलखन पुत्र श्री भागवत लोहार, ग्राम महेदू, थाना-चिल्ला, जनपद-बॉदा का निवासी है। वादी की बहन को बुरी नियत से पकड़कर खीचने की शिकायत किये जाने की रंजिश को लेकर दिनांक 24.12.2002 को बन्दी ने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाइसेन्सी बन्दूक, बरछी व तमन्चे से गोली मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-109/2003 में भा0द0वि0 की धारा-302, 323/34, 325/34, 201/34, 354 व 27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0-प्रथम न्यायालय संख्या-06, बॉदा के आदेश दिनांक 10-11-2005 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। 2- सत्र परीक्षण संख्या-1348/2013 में भा0द0वि0 की धारा-42 प्रिजन एक्ट में पीरियड अन्डरजोन इन जेल से दंडित किया गया, बन्दी की अपील मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष विचाराधीन है, बंदी द्वारा दिनांक 02.02.2023 तक 20 वर्ष 01 माह 07 दिन की अपरिहार सजा तथा 25 वर्ष, 03 माह 11 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बांदा द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बंदी के पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, बंदी के छूटने के बाद पुन: किसी घटना कारित होने की पूर्ण सम्भावना होने, बंदी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा ठीक नही है अभी भी दोनों पक्षों में विवाद होने की पूर्ण सम्भवना होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी ने बहन को बुरी नियत से पकड़कर खीचने की शिकायत किये जाने की रंजिश को लेकर दिनांक 24.12.2002 को बन्दी ने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाइसेन्सी बन्दूक, बरछी व तमन्चे से गोली मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या कर दी। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी रामलखन पुत्र भागवत लोहार को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in